रमेश चन्द बनाम सुरेश चन्द

अपील संख्या : 18/559

22.01.2019	पत्रावली पेश हुई । रिव्यू प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि उक्त अपील एकपक्षीय बहस पर थी व अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा का वाद था जो आपसी सहमति से लोक अदालत में निर्णय न किया जाकर एक पक्ष के आधार पर ही लोक अदालत में बिना सुनवाई व सूचना के निर्णय हुआ है । राजस्व मण्डल द्वारा ऐसे प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों की सहमति से होना जाहिर किया गया है । न्यायहित में रिव्यू प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड कर सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने व लोक अदालत के विपरीत निर्णय की वैधानिकता पर विचार कर निर्णय पारित किया जावे । अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान को उनके हिस्से के अनुसार विभाजन की डिक्री पारित की थी जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । न्यायालय हाजा ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह विधि सम्मत है । रिव्यू का बहुत सीमित क्षेत्राधिकार होता है । अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । रिव्यू का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित होता है । ऐसी त्रुटि जो कि Apparent on the face of record हो, को दुरूस्त किया जा सकता है । रिव्यू के आधार पर पूर्व में पारित निर्णय को नही बदला जा सकता है । प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन एवं विश्लेषण करने के उपरान्त ही निर्णय व डिक्री दिनांक 27.06.2017 पारित की गई है और अपील खारिज की गई है । इसके विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है । प्रार्थी सक्षम न्यायालय में इस निर्णय के खिलाफ अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है । 22.1.19 (भागवंती जेठवानी) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा